129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2124–तीन/2002 विरूद्ध आदेश, दिनाक 21–6–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 98/2001–2002/अपील.

1 ध्रुव सिंह
2 उदयभान सिंह
3 बीर सिंह
4 रनसिंह
5 हमीर सिंह
पुत्रगण वंशबहादुर सिंह उर्फ चन्द्रपाल सिंह
पुत्र मलखान सिंह निवासीगण ग्राम हमीरापुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन
2 मातादीन सिंह पुत्र बरजोर सिंह
3 अहिवरन सिंह पुत्र बरजोर सिंह
4 दुर्योधन सिंह पुत्र बरजोर सिंह भदोरिया
निवासीगण ग्राम हमीरापुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड म0 प्र0

–अनावेदकगण

श्री एम0आर0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 98/2001–2002/अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–2002 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हमीरापुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 42 रकबा 0.59 हैक्टेयर तथा सर्वे कमांक 91 रकबा 0.02 हैक्टेयर जो कि राजस्व अभिलेख में शासकीय तालाब के रूप में दर्ज हैं। उक्त सर्वे कमांक पर निगरानीकर्तागण द्वारा मकान बनाकर एवं घूरा डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया । इस आशय की शिकायत प्रतिअपीलार्थी कमांक 2 लगायत 4 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर प्रकरण कमांक 01/2000–01/अ–68 पर पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 30–3–2002 से अपीलार्थीगण पर 1000/– रूपये दुचन्द लगान सहित अर्थदण्ड आरोपित किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो अपीलार्थीगण के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही किये जाने बाबत प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जावेगा । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2002 से परिवेदित होकर अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 25/2000–01/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 18–1–2002 से निरस्त की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2002 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 98/2001–02/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 21–6–2002 से अपील

निरस्त की गयी । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को साक्ष्य अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था, जिसे स्थिर रखे जाने में अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा भूल की गई है । निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क अभिलेख के विपरीत है । विचारण न्यायालय के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत निगरानीकर्तागण को नोटिस जारी किया गया था । निगरानीकर्तागण द्वारा जारी सूचना पत्र का जबाब भी प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का यह तर्क कि उन्हें सुना नहीं गया, स्वीकार योग्य नहीं है ।

5/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का दूसरा मुख्य तर्क यह है कि भूमि सर्वे क्रमांक 91 जिसका पुराना नम्बर 173 था, जिसका रकबा 0.02 आरे है, वह बन्दोबस्त के समय से ही निगरानीकर्तागण के पिता बहादुरसिंह उर्फ चन्द्रपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह के स्वत्व व स्वामित्व का होकर पुश्तैनी भूमि है । इस संबंध में अभिलेख का परिशीलन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि सर्वे क्रमांक 173 रकबा 0.02 आरे संवत 2007 के खसरे में चन्द्रपाल सिंह के नाम दर्ज है, किन्तु निगरानीकर्तागण के पिता का नाम वंशबहादुर सिंह है, इसलिये निगरानीकर्तागण का यह तर्क कि प्रश्नाधीन भूमि पुश्तैनी है, स्वीकार योग्य नहीं है । इसके अलावा निगरानीकर्तागण द्वारा संवत 2007 के आगे का कोई खसरा

आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि निगरानीकर्तागण के पूर्वजों की होकर पुश्तैनी है ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा अपने आदेश में सुस्पष्ट विवेचना की जा चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों को निर्देश दिये जाकर दोनों पक्षों को राहत दी गयी है। भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेंगें, इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा दोनों पक्षकारों को 20–20 हजार रूपये मुचलका लिये गये हैं । ऐसे विधिसम्मत आदेश को अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा स्थिर रखे जाने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर